राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(23–34)RPSC / Appt / HRD / 2022 / 915 दिनॉक: 15 मार्च 2024

अनन्तिम नियुक्ति आदेश
(Provisional Appointment Order)

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिस्तावना पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य **ई.ए.एफ.एम.** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में अनन्तिम (Provisional) नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र.म.	अभ्यर्थी का नाम (डॉ. / श्रीमती / सुश्री), पिता / पति का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्मतिथि	श्रेणी	अभ्यर्थी का फोटो	पदस्थापन स्थान (राजकीय महाविद्यालय)
1	श्री मनु नायर, पुत्र श्री मणि कुट्टन नायर, प्लाट नम्बर 122–एफ, शिव चौधरी नगर, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर	R-06	16–11–1990	GE, EWS		धौलपुर

1. उपुर्यक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के लिए कार्यग्रहण तिथि से वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार मासिक स्थिर परिलाभ रूपयें 40000/– प्रतिमाह देय होगा। यह परिलाभ माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई SLP 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात परिवीक्षा काल को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जावेगा। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
3. परिवीक्षा काल में स्थिर परिलाभों में से जी.पी.एफ. की कटौती सम्बन्धित सेवा नियमों ओर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अनुसार रहेगी।
4. उक्त अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें वित्त (नियम अनुभाग) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26.09.2018 के नियम 13 अनसूची–II के अनुसार सहायक आचार्य पद हेतु देय वेतनमान (15600–39100) ग्रेड पे 6000 (AL-10) देय होगा तथा सफलता पूर्वक परिवीक्षा की समाप्ति पर इनका उक्त वेतन लेवल में न्यूनतम मूल वेतन रूपये 57700/– प्रतिमाह निर्धारित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार के कर्मचारियो को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश / दिशा निर्देश लागू होगें।

RajKaj Ref
6139692

7. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संतान सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

8. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

9. उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(1)डीओपी/ए–II/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

11. उपर्युक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन नहीं किया गया है। यह अनन्तिम (Provisional) नियुक्ति कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(5)DOP/A-2/17 दिनांक 15.05.2018 की पालना में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत Attestation Form के आधार पर जारी की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा Attestation Form में अंकित कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववर्ती सत्यापन उचित नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अनन्तिम नियुक्ति निरस्त की जायेगी तथा अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक/दीवानी/विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा वह अभ्यर्थी अन्य किसी राजकीय नियुक्ति हेतु भी पात्र नहीं माना जायेगा।

12 जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

13 उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजो की जांच के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजो में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

14 उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

15 चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

16. उक्त अभ्यर्थी को पूर्व की किसी भी प्रकार की सेवा के आधार पर अनुभव तथा योग्यताओं का लाभ देय नहीं होगा जिसमें सी.ए.एस. भी सम्मिलित है।

17. उपर्युक्त अभ्यर्थी को **दिनांक 05.04.2023** तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, उक्त तिथि के पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जावेगा और उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6139692

क्रमांकःएफ1(23—34)RPSC / Appt / HRD / 2022 / 915 दिनॉकः 15 मार्च 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(7)(24) भर्ती / A.P./Coll. Edu. / 2018—19 / 574 दिनांक 15.02.2023 तथा पत्रांक एफ.7(7)(24) भर्ती 'ख' / A.P. / 2018—19 / 152 दिनांक 27.07.2023 एवं 360 दिनांक 13.10.2023 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त.कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्राचार्य— कृपया उपर्युक्त अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजो की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करें। अभ्यर्थी से दस्तावेजो की स्व प्रमाणित प्रति तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करे। उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात कार्यभार ग्रहण करावें ।
6. सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी — कृपया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ15 (1) डी.ओ.पी. / ए— I I / 1974 दिनांक 01.01.1975 के अनुसार अभ्यर्थी से जॉच हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त कर इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, को प्रेषित कर इस कार्यालय को भी सूचित करने का श्रम करें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी — कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने गृह जिला अथवा जिस जिले में पदस्थापन किया गया है उस सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करें।
8. स्थापना शाखा — सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र, एवं मूल शपथ पत्र सहित।
9. कार्मिक शाखा / गोपनीय शाखा / कम्प्यूटर शाखा / रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6139692

Document certified by Harsh Sawansukha <Harshsawansukha@yahoo.com>.

Digitally Signed by Harsh Sawan Sukha
Designation : Joint Secretary To Government
Date :15-03-2024 02:37:21